अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

वित्त प्रभाग

सं.1-2/ऑडिट/विविध/2020-21 दिनांक:

परिपत्र

"शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु" प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक भत्ते पर नियम 2बीबी(1)(ई) के अंतर्गत उस सीमा तक छूट दी जाती है, जिस सीमा तक, उस प्रयोजन के लिए वास्तव में ऐसे व्यय किए गए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(14)(i) के अनुसार शैक्षिक भत्ता ऐसी आय का हिस्सा है "जो लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में संपूर्णत:, आवश्यकत: और अनन्यत: उपगत किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया कोई विशेष भत्ता या लाभ, जो धारा 17 के खंड (2) के अर्थ में परिलब्धि की प्रकृति का नहीं है"।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा छूट प्राप्त करने हेतु, जिन कर्मचारियों को शैक्षिक भत्ता प्रदान किया गया है- उन्हें निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना अपेक्षित है:

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांक ..... से ..... तक की अवधि के दौरान प्राप्त ..... रूपये की राशि अथवा सम्पूर्ण शैक्षिक भत्ते का उपयोग शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से कर लिया है।

हस्ताक्षर/दिनांक

नाम .....

पदनाम .....

विभाग .....

सेवा में,

लेखा अधिकारी (लेखा-परीक्षा)

अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली

इस वित्त वर्ष का प्रमाण पत्र दिनांक 15 मार्च, 2021 तक भेज दिया जाए ताकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी/एम्स इस पर छूट हेतु विचार कर सकें। उक्त प्रमाण पत्र न देने की स्थिति में, शैक्षिक भत्ते को कर्मचारी की कर-योग्य आय में शामिल कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त कर-मांग का भुगतान संबंधित कर्मचारी द्वारा 15.03.2021 तक अथवा इससे पहले करना होगा अथवा इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी/एम्स द्वारा जारी फार्म 16 में कर-योग्य आय के रूप में दिखाया जाएगा तथा इसे संबंधित कर निर्धारिती द्वारा आयकर विवरणी में शामिल किया जाना अपेक्षित होगा।

(नरेन्द्र भाटिया)

वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:

- शैक्षिक भत्ता प्राप्त करने वाले सभी संकाय सदस्य/कर्मचारीगण समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारीगण
- प्रशासनिक अधिकारी (संकाय प्रकोष्ठ)-सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी हेतु
- कंप्यूटर सुविधा- एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
- निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव/उप-निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव-कृपया सूचना हेतु

श्री संजीव कु. डी.

संजय गुप्ता 3/2/2021

All India Institute of medical sciences
Ansari Nagar , New Delhi-110029
Finance Division

No.-1-2/Audit/Misc/2020-21 **Date:01/02/2021**

CIRCULAR

Academic Allowance, as provided under Rule 2BB (1) (e), is granted for "encouraging the academic, research and training pursuits in educational and research institutions" and is exempted to the extent to which such expenses are actually incurred for that purpose".

Section 10 (14) (i) of Income Tax Act, 1961 provides that Academic Allowance is part of incomes as "any such special allowance or benefit, not being in the nature of a perquisite within the meaning of clause (2) of section 17, specifically granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively incurred in the performance of the duties of an office or employment of profit, as may be prescribed".

In view of the above and in order to avail exemption, employee – granted Academic Allowance – are required to submit the Utilization Certificate as follow:

CERTIFICATE

This is to certify that an amount of Rs ..... or whole of Academic Allowance received during the period from ..... to ..... has been utilized by me for the purpose of academic, research and training pursuits.

Signature/Date
Name .....
Designation .....
Department .....

To,
Accounts Officer (Audit)
AIIMS, New Delhi

The Certificate for this Financial year may be sent by 15th March 2021 to enable DDO/AIIMS to take into account the exemption. In the absence of such certificate, the Academic Allowance is liable to be included in taxable income of such employees and any additional tax demand in this regard should be paid by individual on or before 15/03/2021 or it will reflect as taxable income in Form 16 issued by DDO/AIIMS and will be required to be incorporated in IT Returns by respective assesses.

(Narinder Bhatia)
Financial Advisor

Distribution:

- All Faculty/Employees, Group 'A' & 'B' officers getting Academic Allowance.
- Administrative Officer (Faculty Cell) for awareness of all concerned.
- CF- with request to upload on website of AIIMS.
- P.P.S to Director / PS to DD(A) / Sr. FA – for information.